4231 पर्यटक आए हैं कश्मीर में 2019 में अगस्त से अक्टूबर के बीच। इनमें 928 विदेशी थे। वहीं, 1.61 लाख पर्यटक आए थे 2018 में।

साक्षात्कार

अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला : हीको मास

भारत दौरे पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता को कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे समय जब दुनिया में चीन का दबदबा बढ़ रहा है और नए सिरे से वैश्विक तालमेल पनप रहे हैं तब भारत व जर्मनी के रिश्तों को भी बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है। द्विपक्षीय रिश्तों के तमाम पहलुओं पर जर्मनी के विदेश मंत्री **हीको मास** ने दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता **जयप्रकाश रंजन** को ईमेल पर सवालों का जवाब दिया।

जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास का फाइल फोटो।

● आप भारत-जर्मन संबंधों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? मोदी-मर्केल युग में यह कैसे बदला है?

- जर्मनी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी अद्वितीय है। यह 19 वर्ष पुरानी है। दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश के साथ इस तरह का गठबंधन नहीं है, इस लिहाज से इसकी तुलना किसी दूसरे देश के साथ नहीं की जा सकती। हाल के वर्षों में, हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। उदाहरण के लिए दोनों देशों ने 30 से अधिक परामर्श और संवाद प्रारूप बनाए हैं जो पिछले 19 वर्षों के दौरान हमारी साझेदारी को लेकर उपजे विश्वास का नतीजा हैं।

● चांसलर एंजेला मर्केल की यात्रा का क्या महत्व होगा? क्या दोनों देश कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं?

- हम संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के नेताओं ने इसे जो गतिशीलता दी उसे भी बनाए रखना चाहते हैं। यह यात्रा कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। उदाहरण के लिए, हम अपने स्टार्ट-अप के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौते करेंगे। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में भी हम सहयोग करना चाहते हैं। मर्केल अपनी यात्रा के दौरान एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ होंगी।

● जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, हम अपनी अर्थव्यवस्था साझेदारी को मजबूत करने के लिए और क्या कर सकते हैं?

- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से हम काफी प्रभावित हैं। यह वर्षों से बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। जर्मनी की तरह, भारत भी मुक्त, खुले और नियम-आधारित व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि यूरोप और भारत के लिए यह अच्छा होगा यदि हम एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करें और इसे आगे की तरफ ले जाएं।

● जर्मनी के कौन से क्षेत्र भारत के साथ काम करने को इच्छुक हैं?

- मैं जर्मनी और भारत के बीच कई क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहयोग की संभावनाएं देखता हूं। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में हमारा सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम पहले से ही जलवायु और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय रूप से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यदि हम जलवायु और पर्यावरण के मुद्दों पर और अधिक निकटता से सहयोग करने में सफल होते हैं और खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तो हम पेरिस में निर्धारित महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।

● भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी कैसे आगे बढ़ रही है... भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं?

- भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा नीति के मुद्दों में केंद्रीय भूमिका निभाता है, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जारी पुनर्निर्माण और वहां चलाई जा रही शांति प्रक्रिया में जर्मनी भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोहा में अंतर-अफगान वार्ता के साथ, जर्मनी ने अफगानिस्तान में भविष्य की शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षेत्र के स्थायी शांति के लिए हमें भारत के प्रभाव की आवश्यकता है। मुख्य सुरक्षा नीतियों को लेकर जर्मनी और भारत को एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है।

● जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जर्मनी का क्या रुख है?

- हमारे लिए यह भारत का एक आंतरिक मामला है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर से जुड़े फैसले हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं। मैंने हमेशा भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पक्षों को अपनी बातचीत में इस बारे में बताया भी है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी पक्ष आग पर तेल ना डाले और संवाद के राजनयिक चैनल खुले रहें।

● भारतीय छात्र अब अध्ययन के लिए जर्मनी का चयन कर रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे जो भविष्य में वहां जाना चाहते हैं?

- हमें खुशी है कि भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए जर्मनी इतना लोकप्रिय स्थान है। दोनों देशों में उद्योग और अनुसंधान केवल इस विनिमय से लाभान्वित हो सकते हैं। बेशक, मैं उसी को प्रभावित कर सकता हूं जो भारत और जर्मनी के बीच अच्छे आर्थिक संबंधों और थोड़ी बहुत जर्मन भाषा सीखने के लिए जर्मनी में अध्ययन को इच्छुक हो।

● भारत व जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग की क्या स्थिति है और इसका भविष्य क्या है?

- फरवरी, 2019 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने को लेकर एक समझौता हुआ है। इसके अलावा हमने हाल ही में एक नया संवाद प्रारूप बनाया है जो मुख्य रूप से सैन्य नीति से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि यह सब रक्षा व सुरक्षा नीति के मुद्दों पर हमारे सहयोग का एक अच्छा आधार तैयार करेगा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश

ऐतिहासिक क्षण ▶ जीसी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर और आरके माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ

मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने श्रीनगर और लेह में दिलाई शपथ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पूरे देश की उम्मीदें और आशाएं परवान चढ़ीं और गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसी के साथ श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू और लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर राधाकृष्ण माथुर को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यह शपथ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दिलाई। इसके साथ ही दोनों प्रदेशों में विकास का नया अध्याय भी शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद उपराज्यपाल जीसी मुर्मू नागरिक सचिवालय में अपना कार्यभार संभालने पहुंचे। जहां राज्य पुलिस के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक सचिवों और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में जम्मू-कश्मीर में सरकारी कामकाज की जानकारी ली। आरके माथुर ने भी लद्दाख में पद संभालने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी ली।

श्रीनगर में गुरुवार को गिरीश चंद्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। एएफपी

श्रीनगर में हुआ शपथ ग्रहण समारोह : दोपहर करीब पौने एक बजे श्रीनगर के राजभवन में आयोजित एक सादे और भावपूर्ण समारोह में जीसी मुर्मू ने उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. निर्मल सिंह, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे, निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सभी पांच सलाहकार, सेना की 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो, राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नागरिक प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षाबल और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

लेह में समारोह : इससे पूर्व सुबह पौने आठ बजे लेह में मुख्य न्यायधीश ने आरके माथुर को लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सीईसी ग्याल पी वांग्याल, विकास परिषद करगिल के सीईसी फिरोज अहमद खान, दोनों परिषदों के काउंसलर व लेह और कारगिल में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक और मजहबी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

सरदार पटेल की जयंती का चुना दिन : पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ही अनुच्छेद-370 को समाप्त करते हुए एकीकृत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठित किया गया। लेकिन यह फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। क्योंकि भारत-पाक विभाजन के समय करीब 565 रियासतों को भारत में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसी दिन होती है।

लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करने के बाद आरके माथुर। एएनआइ

'लद्दाख के पर्यावरण के अनुकूल विकास योजनाओं को लागू कराना, सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर पैदा करना, खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।'

-राधाकृष्ण माथुर, उपराज्यपाल, लद्दाख

दोनों जगहों में 18 जून से लागू राष्ट्रपति शासन हटा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के साथ ही गुरुवार को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संदर्भ में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत एकीकृत जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित हुआ है। एकीकृत जम्मू कश्मीर में 18 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के गिर जाने के बाद पहले राज्यपाल शासन फिर दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रपति शासन हटाने के संदर्भ में जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-356 के प्रावधान दो के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत मैं रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति भारत 19 दिसंबर 2018 को उपरोक्त अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अपने आदेश को वापस लेता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ही जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

आपातकाल की अंतिम निशानी भी बनी इतिहास का हिस्सा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- नए जम्मू-कश्मीर में छह नहीं पांच साल का होगा विधानसभा का कार्यकाल
- 45 साल पहले आपातकाल के दौरान बढ़ाई गई थी अवधि

भारत के नक्शे पर गुरुवार को दो केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उभरने के साथ ही आपातकाल की अंतिम निशानी छह वर्ष की विधानसभा भी अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अब जो विधानसभा होगी उसका कार्यकाल पांच साल ही होगा।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का छह वर्षीय कार्यकाल 1975 में लागू हुए आपातकाल की देन है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को छह साल किया था। इसके लिए भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया गया। उस समय जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। उन्होंने यह कहकर कि जम्मू-कश्मीर भी पूरे भारत के साथ चलेगा, वह हिंदुस्तान की मुख्यधारा में है, इसलिए छह साल की विस का कार्यकाल उन्होंने राज्य संविधान में संशोधन के जरिए कर दिया।

आपातकाल हटने और इसके साथ ही केंद्र में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मोरार जी देसाई ने जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्ता संभालने पर संसद और विधानसभा का कार्यकाल फिर पांच साल कर दिया। पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गई, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल छह से पांच साल नहीं हुआ, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके बाद जिसने भी जम्मू-कश्मीर में सत्ता संभाली, सभी ने छह साल की विधानसभा को बनाए रखने को ही प्राथमिकता दी। संबंधित केंद्रीय कानून जो पांच साल के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, उसे अनुच्छेद-370 की आड़ में कभी भी जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया।

अलगाववाद की भावना बनाए रखना था कारण

जम्मू-कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ डॉ. अजय चुरुंगू ने कहा कि एकीकृत जम्मू-कश्मीर में कश्मीर केंद्रित पार्टियों की एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण की जो सत्ता रही है, वह अनुच्छेद 370 के चुनिंदा इस्तेमाल का एक सुबूत है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल छह से पांच साल नहीं किया गया, इसके पीछे मंशा सिर्फ जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग रखने और लोगों में अलगाववाद की भावना को बनाए रखने की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में जो विधानसभा होगी उसका कार्यकाल अब पांच साल ही होगा। वहीं, जब कभी जम्मू-कश्मीर दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करेगा, उस समय भी विधानसभा का कार्यकाल पांच साल ही रहेगा।

राज्य कार्य नियम पहले की तरह रहेंगे लागू

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने जारी किया पहला निर्देश
- सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 31 अक्तूबर, 2019 से इन्हें प्रभावी बना दिया

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बावजूद एकीकृत जम्मू कश्मीर के जो राज्य कार्य नियम थे, वे केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू रहेंगे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने पहला निर्देश दिया कि जम्मू व कश्मीर कार्य नियम के प्रावधान जो पूर्व में जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू थे, वे आगे भी सरकारी लेनदेन के कार्य में प्रभावी रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 31 अक्तूबर, 2019 से इन्हें प्रभावी बना दिया।

पुनर्गठन के विरोधी सांसद को समारोह में देख सभी हैरान : केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे को देख सभी हैरान रह गए। उन्होंने वहां आए अन्य गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की और उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मिलकर उन्हें मुबारक भी दी।

यह वही नजीर लावे हैं जिन्होंने गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हालात सामान्य बनाने व राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आग्रह किया था।

पूरी तरह शांत रही स्थिति : एकीकृत जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित राज्यों के रूप में अस्तित्व में आने पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और आतंकी संगठनों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी व हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इस साजिश का खुफिया तंत्र ने अलर्ट भी जारी किया था। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए लखनपुर से लेकर लेह तक सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया था। सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा व एलओसी के साथ सटे इलाकों में और आतंकग्रसत इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया था। कई जगह ड्रोन के जरिए भी स्थिति पर नजर रखी गई। अलबत्ता, स्थिति पूरी तरह शांत रही।

ये बड़े बदलाव

- जम्मू, श्रीनगर और लेह स्थित रेडियो कश्मीर के केंद्र अब आकाशवाणी जम्मू, आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी लेह में बदल गए।
- केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय कानून प्रभावी हो गए।
- अब राष्ट्रभाषा हिंदी को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में उर्दू के स्थान पर सरकारी भाषा का दर्जा दिया जा सकेगा।
- एकीकृत जम्मू कश्मीर को अपनी एक अलग पहचान और कश्मीर के वर्चस्व से मुक्ति मिल गई।
- भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को चुनौती देने वाला जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग निशान भी अब पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया।
- राज्यपाल का पद भी समाप्त हो गया।

यूटी बनने की खुशी में खुलकर झूमे लद्दाखी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सात दशक के लंबे इंतजार के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने का सपना साकार होने पर गुरुवार को लद्दाख खुशी से झूम उठा। लेह के मुख्य बाजार में पांच घंटे तक नाच-गाने के बीच केंद्र शासित प्रदेश बनने की खुशियां मनाई गईं। लेह में बसने वाले बौद्ध, शिया, सुन्नी मुस्लिमों के साथ क्रिश्चियन समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी इस जश्न में बराबर हिस्सा लिया।

लद्दाख के सांसद जामियांग सेरिंग नांग्याल के साथ लेह हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, काउंसिलरों के साथ कारिगल हिल काउंसिल के कई काउंसिलर व भाजपा की कारगिल जिला इकाई के नेता भी इस समारोह में शामिल हुए। नांग्याल ने कहा कि लद्दाख के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आगे देखिए क्या-क्या होता है। लद्दाख के लोग पिछले 71 सालों सें बेसब्री के साथ इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है।

लेह में उप राज्यपाल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म होने के बाद लेहवासी मुख्य बाजार में एकत्र होने लगे और सुबह नौ बजे के करीब यूटी की खुशी मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में लेह के निवासियों का नाच, गाना दोपहर दो बजे तक जारी रहा। शुक्रवार को भी लद्दाख के यूटी बनने की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी रहेगा।

कारगिल का मुख्य बाजार बंद रहा: कारगिल में कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों के प्रभाव के चलते लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। कारगिल का मुख्य बाजार गुरुवार को भी बंद रहा। कश्मीर केंद्रित दलों के नेताओं की तरह कारगिल के कई नेता भी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं। जिले के नेताओं का कहना है कि कारगिल वासियों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है।

लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर स्थानीय लोगों ने इस तरह नाच-गाकर खुशी व्यक्त की। एपी

अब 'यह आकाशवाणी का जम्मू केंद्र' है...

अशोक शर्मा, जम्मू : यह आकाशवाणी का जम्मू केंद्र है... 72 साल बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को रेडियो स्टेशन से यह एनाउंसमेंट सुनने को मिली, जिससे उनमें संतोष और भारतीयता की लहर दौड़ पड़ी। लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के लोग मांग करते रहे थे कि रेडियो कश्मीर जम्मू का नाम बदला जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश होते ही श्रोताओं की लंबित मांग पूरी हो गई।

केंद्र शासित प्रदेश बनते ही जम्मू-कश्मीर में काफी कुछ बदल रहा है। अब रेडियो कश्मीर जम्मू का नाम ऑल इंडिया रेडियो जम्मू के साथ रेडियो कश्मीर श्रीनगर का नाम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और लेह स्टेशन का नाम ऑल इंडिया रेडियो लेह होगा।

वरिष्ठ समाचार वाचक जगमोहन शर्मा का 'एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमा सुना करदेओ' और विजय बजाज का कहना 'एह आकाशवाणी जम्मू ए बडलै खबरें च तुंदा स्वागत' भी श्रोताओं के लिए एक नया अहसास था, जो 1971 से लेकर आज तक सुबह शाम क्षेत्रीय समाचार सुनते आ रहे हैं। उनके लिए भी यह सुखद अनुभव था। देश भर में दो ही स्टेशन ऐसे थे जो रेडियो कश्मीर जम्मू और रेडियो कश्मीर श्रीनगर कहलाते थे जबकि देश भर के दूसरे स्टेशनों से आकाशवाणी का केंद्र कहा जाता है। वैसे तो जम्मू-कश्मीर शुरू से ही भारत का अटूट अंग रहा है लेकिन देश के दूसरे रेडियो स्टेशनों की एनाउंसमेंट सुनने के बाद लगता था कि जम्मू-कश्मीर के रेडियो स्टेशनों के नाम में कुछ तो गलत है।

आकाशवाणी जम्मू की कार्यक्रम प्रमुख रेणु रैना ने कहा कि लंबे समय से लोग रेडियो कश्मीर जम्मू का नाम बदल कर देश के दूसरे स्टेशनों की तरह आकाशवाणी जम्मू रखने की मांग करते आए हैं। अनुच्छेद 370 के चलते महाराजा हरि सिंह के समय चल रहा नाम बदलना आसान नहीं था। अब केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद प्रसार भारती की उच्च स्तरीय बैठक में नाम बदलने का निर्णय लिया गया। आज से आदेश का पालन हुआ है।

नापाक इरादे

कुलगाम में पश्चिम बंगाल के पांच श्रमिकों की हत्या इसी साजिश का है हिस्सा, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद विकास प्रक्रिया से हताश है पाकिस्तान

आइएसआइ ने रची गैर कश्मीरियों की हत्या की साजिश

श्रीनगर/नई दिल्ली, एजेंसी: जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कश्मीर में विकास योजनाओं को गति दिए जाने से हताश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और उसके समर्थित आतंकी संगठनों ने हालात बिगाड़ने के लिए पूरी घाटी में विशेषकर दक्षिण कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोगों की हत्याओं की साजिश रची है। गत दिनों कुलगाम में पश्चिम बंगाल में पांच श्रमिकों की हत्या भी इसी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश से कश्मीर में दूसरे राज्यों के 20 हजार से अधिक लोगों और श्रमिकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

श्रीनगर स्थित खुफिया तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि इस्लामाबाद इस समय कश्मीर और गैर कश्मीरियों के बीच दूरी पैदा करना चाहता है। अब वह केंद्र शासित कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों के लोगों का आना पूरी तरह बंद कराना चाहता है। उन्होंने बताया कि बीते एक माह के दौरान एलओसी के पास आतंकियों के कई रेडियो संदेश पकड़े गए हैं। इनमें नवगठित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की पाकिस्तानी की खतरनाक साजिश का राजफाश हुआ है। इस साजिश को पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ ने मिलकर तैयार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कश्मीर में आतंकियों द्वारा दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाए जाने की रची गई साजिश 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं व उनके सामूहिक पलायन की याद दिलाती है।

कश्मीर में पांच सौ से अधिक आतंकी: खुफिया सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर में 500 से अधिक आतंकी हैं। इनमें से अधिक 200 से ज्यादा पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी हैं। इनमें से अधिकांश विदेशी आतंकियों की अगुआई में अलग-अलग गुटों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के चार जिलों शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में ही सबसे ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं।

पाक खुफिया एजेंसी ने विदेशी आतंकियों को सौंपी कमान

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आइएसआइ ने अपनी साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए घाटी में विदेशी आतंकियों को विभिन्न संगठनों की कमान संभालने को कहा है। यह स्थानीय आतंकियों से कहीं ज्यादा क्रूर हैं। इससे पहले कि यह अपनी साजिश को और आगे बढ़ाएं, हमने उन्हें मार गिराने के लिए विशेष अभियान चला रखे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के डिवीजन कमांडर रियाज नायकू की भी तलाश तेज कर दी है। उसने ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ मिलकर बाहरी ट्रक चालकों की हत्या की वारदातों को अंजाम दिया है। उसने ही कुछ समय पहले चेतावनी दी थी कि यदि कुछ बड़ी घटना घटी, तो उसके आदमी गैर-कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू करेंगे। उसने एक ऑडियो संदेश में कहा था कि 'कश्मीर में मौजूद बाहरी लोग हमारे निशाने पर होंगे।'

'कश्मीर में साजिश के तहत की गई बंगाल के श्रमिकों की हत्या'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के पांच श्रमिकों की कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने पर केंद्र सरकार को घेरा है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की हत्या प्री प्लान (पूर्व निर्धारित) साजिश थी।

उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में है। कश्मीर में यूरोपियन सांसदों के दौरे के मद्देनजर सभी सावधानी बरती गई थी। उसके बाद कैसे वहां श्रमिकों की हत्या हुई? इस वारदात के पीछे जम्मू-कश्मीर में केंद्र की गलत नीतियों का हवाला देते हुए ममता ने कहा कि एक ओर यूरोपियन सांसदों को केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर का दौरा करा रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं व सांसदों को वहां जाने से रोका जाना सरकार के दोहरे रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मारे गए राज्य के श्रमिक वहां रहने नहीं, बल्कि अपने काम को पूरा करने के बाद लौटने वाले थे। ऐसे में इनकी हत्या पूरी तरह से प्री प्लान थी और इस वारदात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना समय गंवाए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

धनखड़ बोले, हिंसा की निंदा करें, राजनीतिकरण नहीं

पांच श्रमिकों की हत्या मामले में गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि हिंसा चाहे जहां भी हो, इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। धनखड़ ने गुरुवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उक्त बातें कहीं।